प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 25 – 1 अगस्त 2016 मूल्य पांच रूपए

मनी लॉडरिंग प्रकरण में नही मिली प्रतिभा सिंह को स्थायी राहत

आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई फिर पंहुची सर्वोच्च न्यायालय

शिमला/शैल। वीरभद्र सिंह के साथ आय से अधिक संपत्ति और मनीलॉडरिंग मामलों में सहअभियुक्त बनी प्रतिभा सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिये स्थायी राहत का आग्रह किया था। जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर पायी है। उच्च न्यायालय ने प्रतिभा सिंह को ईडी की जांच में आठ अगस्त को शामिल होने के निर्देश देते हुए केवल इतनी राहत प्रदान की है कि उन्हें उस दिन गिरफ्तार न किया जाये। प्रतिभा सिंह के जांच में शामिल होने के बाद ईडी इस संद्धर्भ में अदालत के सामने रिपोर्ट रखेगा जिसमें यह खुलासा रहेगा कि उन्होने जांच में कितना सहयोग दिया, भविष्य में सहयोग का कितना भरोसा दिया और रिपोर्ट में यह भी रहेगा कि ईडी प्रतिभा सिंह के सहयोग से कितना सन्तुष्ट है।

स्मरणीय है कि ईडी ने 27.10.2015 को मनीलॉडरिंग का मामला दर्ज किया था और उसके बाद 21.3.2016 तक करीब आठ बार इस दंपत्ति को जांच में शामिल होने के नोटिस भेजे थे लेकिन यह लोग एक बार भी जांच में शामिल नही हुए जिसके बाद 23.3.2016 को ईडी ने करीब आठ करोड़ की संपत्ति के अटैचमैन्ट आदेश जारी कर दिये। अब 8 जुलाई को इसी मामले में सह अभियुक्त बने चुन्नी लाल और आनन्द चौहान को सीबीआई तथा ईडी ने हिरासत में ले लिया। आनन्द चौहान अभी तक ईडी की हिरासत में है और उसे जमानत नही मिली है। चुन्नी लाल से सीबीआई ने पूछताछ की है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उसके धारा 164 के तहत ब्यान करवा कर उसे सरकारी गवाह बना दिया है। वीरभद्र सीबीआई की जांच एक बार शामिल हो चके हैं लेकिन इस शामिल होने से सीबीआई ज्यादा सन्तुष्ट नही रही है और उसने वीरभद्र के खिलाफ असहयोग का आरोप लगाते हुए उनकी कस्टोडियल पूछताछ का आग्रह अदालत से किया था। उच्च न्यायालय ने यह मामला 23.8.2016 के लिये रखा है और सीबीआई को अभी तक कस्टोडियल जांच की अनुमति नही दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गयी है।

सीबीआई ने 21.9.2015 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था लेकिन अब यह मामला मनीलॉडरिंग का भी बन गया है। कोई मामला मनीलॉडरिंग के दायरे में तब आता है जब ऐसी आय से संपत्ति अर्जित की जाये जो कि वास्तव हुई ही न हो। वीरभद्र और प्रतिभा के मामले में भी 6 करोड़ की आय सेब के बागीचे से रिकार्ड पर दिखा दी गयी है जो कि आयकर से लेकर ईडी की जांच तक में बागीचे से होना प्रमाणित नही हो पायी है। ईडी के मुताबिक वीरभद्र, प्रतिभा सिंह के पास अपना ही काला धन था जिसे जायज बनाने के लिये आनन्द चौहान और चुन्नी लाल का सहारा लिया गया। क्योंकि चुन्नी लाल के माध्यम से आनन्द चौहान ने छः करोड़ का सेब कब कैसे और किसे बेचा यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। जबकि पैसा प्रतिभा सिंह के दिल्ली के एस बी आई बैंक खाते में जमा हुआ और फिर उससे ग्रेटर कैलाश में प्रतिभा सिंह के नाम पर 4,47,20,000 में पांच सौ गज का मकान खरीदा गया। इसमें यदि बागीचे से छः करोड़ की आय प्रमाणित न हो पायी तो यह मामला गंभीर होगा।

इसी तरह अपने चुनावी शपथ पत्र में प्रतिभा सिंह ने वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से करीब 6.5 करोड़ का कर्ज परिवार के सदस्यों के नाम पर लिया दिखाया है। यह कर्ज बिना ब्याज और बिना जमानत के है। इस कर्ज के बाद ही महरोली में फार्म हाऊस की खरीद हुई है। वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से लिया गया यह कर्ज भी जांच के दायरे में है। ईडी ने 23.3.2016 के अपने अटैचमैन्ट आर्डर में साफ लिखा है कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को लेकर जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यह जांच पूरी हो चुकी है और संभवतः प्रतिभा सिंह से इस संद्धर्भ में भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक जांच ऐजैन्सीयों को वक्कामुल्ला के पास भी आय के कोई बड़े स्त्रोत नही मिले हैं। जिनके आधार पर वह इतना बड़ा ब्याज मुक्त कर्ज दे पाता। वक्कामुल्ला के पास भी यदि इतनी बड़ी आय के वैध स्त्रोत न मिले तो यह लेन देन भी मनीलॉडरिंग माना जायेगा। इस लेन देन के लाभार्थीयों में वीरभद्र परिवार के सदस्यों के साथ ही ओएसडी अमित पाल सिंह भी शामिल हैं।

इस तरह से वक्कामुल्ला से हुए लेनदेन की केन्द्रिय भूमिका में प्रतिभा सिंह आती है। इसलिये इस लोन की प्रमाणिकता को लेकर पहली पूछताछ प्रतिभा सिंह से होनी है क्योंकि जो पावर प्रोजैक्ट वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर ने हिमाचल सरकार से लिया था उसमें वह डिफालटर रहे हैं। यह भी चर्चा है कि इसी वक्कामुल्ला के साथ इस परिवार के कुछ सदस्यों की कुछ मिनी हाईडल प्रोजैक्टस में भी हिस्सेदारी है। स्मरणीय है कि ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद देश के कुछ स्थानों पर इस मामले में छापामारी की थी। इस छापामारी के सूत्र क्या रहे हैं और छापामारी में किससे क्या हाथ लगा है इसको लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जो अधिकारी प्रतिभा सिंह को उनके राजनीतिक कार्य निपटाने में सहयोग करते थे वह भी ऐजैन्सी के राडार पर चल रहे हैं और उनसे भी किसी स्टेज पर पूछताछ की जा सकती है।

अब केन्द्रिय मन्त्री मण्डल में हुए फेरबदल में स्टील मन्त्रालय की जिम्मेदारी चौधरी विरेन्द्र सिंह को मिली है। चौधरी विरेन्द्र सिंह जब कांग्रेस में थे तब वह हिमाचल के प्रभारी थे। लेकिन प्रभारी के नाते उनके रिश्ते वीरभद्र सिंह से बहुत अच्छे नही रहे यह सब जानते हैं। विरेन्द्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब वीरभद्र सिंह ने ही उनके खिलाफ सबसे ज्यादा कटु प्रतिक्रिया दी थी। अब सीबीआई ने जो सर्वोच्च न्यायालय में फिर से दस्तक दी है उसे भी इसी परिदृश्य में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वीरभद्र के स्टील मन्त्री के कार्यकाल में वर्ष 2011 में सेल के आधुनिकीकरण के लिये 10,883 करोड़ और आरआईएनएल के लिये खर्च किये गये 12,228 करोड़ भी सीबीआई की जांच के दायरे में चले रहे हैं। इस आधुनिकीकरण के तहत सरकारी और निजि क्षेत्र में 64 रिसर्च प्रोजैक्टस शुरू किये गये थे जिन पर 2010 मे 442 करोड़ खर्च किये गये थे। इसी आधुनिकीकरण के तहत ही एक

शेष पृष्ठ 2 पर.....

वीरभद्र सिंह ने फिर कहा जेटली और अनुराग पड़े हैं उनके पीछे

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह अपने खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी जांच से किस कदर आहत है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह इस सबके लिये धूमल, जेटली और अनुराग को लगातार कोसते आ रहे हैं। उधर धूमल ने फिर चुनौती दी है कि प्रदेश में मुख्यमन्त्री रहे तीनों नेताओं की संपति की जांच सीबीआई से करवा ली जाये। इस समय शान्ता कुमार, धूमल और वीरभद्र ही ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे हैं इन तीनों के खिलाफ शिकायतें भी हैं। शान्ता के खिलाफ पालमपुर के ही एक सेवानिवृत प्रिंसिपल ओंकार धवन की शिकायत सरकार के पास धूमल के समय से लंबित है। गंभीर शिकायत है लेकिन न धूमल और न वीरभद्र ही इस पर कारवाई करने को तैयार हैं। धूमल के खिलाफ विनय शर्मा की शिकायत 2012 से लंबित चली आ रही है। विनय शर्मा तो इस शिकायत पर 156(3) के तहत अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। 2013 से वीरभद्र सत्ता में है लेकिन आज तक उनकी विजिलैन्स इसमें कुछ नही कर पायी है। अनुराग ने भी बतौर सांसद 10,27,000 की संपति दो लाख में खरीदी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मुताबिक कोई भी पब्लिक सर्वेन्ट कम कीमत पर संपति नही खरीद सकता। वीरभद्र की विजिलैन्स के पास यह सारे मामले हैं लेकिन कारवाई नही है।

धूमल के खिलाफ ए एन शर्मा के नाम पर बनाये गये मामले में सरकार की फजीहत किस कदर हुई है यह भी सबके सामने है। एच पी सी ए के सारे मामलों में सरकार की स्थिति हास्यस्पद हो चुकी है। सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का मामला आज तक आरसीएस और प्रदेश उच्च न्यायालय के बीच लटका पड़ा है। अरूण जेटली के खिलाफ मान हानि का मामला वापिस लेना पड़ा है। इन सारे प्रकरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरभद्र ने अपने विरोधीयों को घेरने के लिये हर संभव प्रयास किया है लेकिन उनका सचिवालय और उनकी विजिलैन्स इन प्रयासों को सफल नही बना पाया है। वीरभद्र के प्रयास सार्वजनिक रूप से सामने भी आ गये और उनके परिणाम शून्य रहने से फजीहत होना स्वाभाविक है। इसी फजीहत का परिणाम है कि वीरभद्र का दर्द इस तरह यदा-कदा सामने आ जाता है।

वीरभद्र परिवार के खिलाफ चल रहे मामले अपने अन्तिम परिणाम तक पहुचने के कगार पर पहुंच चुके हैं भले ही एक दिन की राहत का कानूनी जुगाड़ बैठाते हुए कुछ और समय निकल जाये लेकिन इन मामलों में नुकसान होने की पूरी-पूरी संभावना है। इस परिदृश्य में वीरभद्र का धूमल,जेटली और अनुराग को कोसना तब तक बेमानी हो जाता है जब तक कि वह उनको अपने बराबर के धरातल पर लाकर खड़ा नही कर देते हैं। आज वीरभद्र का कोसना केवल खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे होकर रहा गया है। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि वीरभद्र अपने प्रयासों में सफल क्यों नही हो पा रहे हैं। क्योंकि यदि धूमल के खिलाफ भी आय से अधिक संपति का मामला ठोस आधारों पर खड़ा हो जाता है तो वह भी वीरभद्र की तर्ज पर आगे चलकर ईडी के दायरे में आ खड़ा होगा। लेकिन क्या वीरभद्र का सचिवालय और विजिलैन्स ऐसा कर पायेंगे? आज इनकी मंशा पर भी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि वीरभद्र की सरकार अब तक उन आरोपों पर कोई परिणाम प्रदेश की जनता के सामने नही ला पायी है जिनके सहारे वह सत्ता तक पहुंची थी। बल्कि आज वीरभद्र सरकार स्वयं उन आरोपों में घिरती जा रही है जो वह विपक्ष में बैठकर धूमल सरकार के खिलाफ लगाया करती थी। क्योंकि विजिलैन्स के पास ऐसी शिकायतें

शेष पृष्ठ 2 पर.....

कारगिल विजय दिवस पर वीर योद्धा सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वह राष्ट्र महान होता है जिसके युवा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वही राष्ट्र विकास करता है और हर प्रकार से सुरक्षित होता है, जिसके नागरिकों में देश के लिए बलिदान की सोच हो। भारत में ऐसे वीरों की कमी नहीं है।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में सिडार फिल्म द्वारा कारगिल विजय दिवस पर आयोजित 'वीर योद्धा' कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध एक ऐसी घटना थी, जहां तमाम विकट परिस्थितयों के बावजूद हमारे वीर सैनिकों ने मौत को सामने देखते हुए भी पीठ नहीं दिखाई। बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने पहाड़ की चोटी पर बैठे घुसपैठियों को खदेड़कर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से इस परम्परा को हर हाल में कायम रखने का आहवान करते हुए कहा कि उन्हें देश की अखण्डता, आन, बान व शान के लिए हर कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना है।

राज्यपाल ने शहीद सैनिकों के परिजनों को नमन करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र भक्ति के संस्कारों ने ही उनके बच्चों को महान बनाया। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास वीरों का रहा है और आजादी की लड़ाई में असंख्य वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन पर हमें गर्व है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया और कई जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 52 जवान कारगिल युद्ध के दौरान आरम्भ किए गए 'आपरेशन विजय' में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि आपरेशन विजय के दौरान प्रदान किए गए चार परमवीर चक्र में से दो हिमाचल के बहादुर सैनिकों को दिए गए। कैप्टन विक्रम बतरा और हवलदार संजय कुमार को यह सम्मान मिला।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के बहादुर सैनिक सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। इससे पूर्व, राज्यपाल ने 'वीर योद्धा' स्मारिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के 16 वीर सैनिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देश भक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

मनी लॉंडरिंग प्रकरण में नहीं

.....पृष्ठ 1 का शेष

स्क्रैब सबकमेटी गठित की गयी थी। इस कमेटी द्वारा किये गये कार्यो पर भी जांच की संभावना है। SAIL द्वारा पीआरपी के तहत 2011 में कुछ अधिकारियों को की गयी 232 करोड़ की पेमैन्ट को लेकर तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणीयां की हुई हैं। माना जा रहा है कि कैग की टिप्पणीयों को आधार बनाकर सीबीआई स्टील मन्त्रालय को लेकर एक बड़ी जांच को भी अंजाम दे सकता है। इस परिदृश्य में आने वाले दिनों में आय से अधिक संपत्ति और मनीलॉडरिंग के मामले वीरभद्र परिवार पर और भारी पड़ सकते हैं यदि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर और बागीचे की आय प्रमाणित न हो पायी तो।

वीरभद्र सिंह ने फिर कहा

.....पृष्ठ 1 का शेष

मौजूद हैं जिन पर यदि ईमानदारी से गंभीर जांच की जाये तो उसकी आंच कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर सकती है। लेकिन विजिलैन्स ऐसा कर नही पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन के अहम पदों पर बैठे बड़े बाबू अपने भविष्य की चिन्ता को लेकर ज्यादा सजग हो गये हैं। क्योंकि उन्हें उसी तर्ज पर धमकीयां मिलनी शुरू हो गयी है। जैसी की 31.3.99 को स्वयं वीरभद्र ने तत्कालीन शीर्ष प्रशासन को दी थी।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed percentage rate tenders on form No. 6&7 are invited by the Executive Engineer , Electrical Division No. 1 HPWD Shimla 9 for the following works on behalf of Governor of Himachal Predash, from approved and eligible contractors enlisted in HPWD Electrical so as to reach in this office on or before 24.08.2016 up to 10:30 AM and will be opened on the same day at 11:00 AM in the presence of the intending contractors or their authorized representative. The tender form can be had from this office against cash payment (Non-Refundable) up to 1:00 PM on 22.08.2016.

The earnest Money in the shape of National Saving certificate / Time deposit Account/Saving Account in any of the Post office in HP duly pledged in the favour of undersigned must accompany with each tender at the time of issue of tender form. Conditional tenders and the application for tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days . The undersigned reserves the right to rejected the tender without assigning any complications No added that the rates be quoted both in words and figures for proper checking to avoid any complications . No tender form will be issued to those contractors who are nor registered under HP GST Act, 1968. The contractors shall show their registration /renewal of enlistment to the undersigned before issue of tender forms. If the date of opening of will be holiday the tender will be opened on the next working day at the same time.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Cost of Form
1.	C/o 6 no Type II Residential qtr. Of Police Colony Kasunpti shimla -9 under ESD II (SH:- Prov.E.I)	2,72,377/-	5,500/-	One Month	350/-
2.	AMG of 2Nos 26 Passengers elevator Thyssenk krupp make (installed in multi-storey building near FHW School at Regional Hospital solan. Machine No's 5722 and 5723 (For on year 2016-17)	2,55,640/-	5150/-	One year	350/-
3.	C/o Rest house building of Kunihar The Arki Distt Solan (SH Prov. E.I therein)	6,82,288/-	13,650/-	One year	350/-
4.	C/o Sub the Building at Mamlig in Distt Solan (SH Prov. E.I therein)	4,36,897/-	8,750/-	One year	350/-
5.	R/o of 4 Nos lifts in HP High court shimla for the year 2016-17 (For a Period 19-08-2016 To 19-08-2017.	2,86,920/-	5750/-	One year	350/-

Note:-i) Copy of latest Enlistment/ Renewal and sale tax Clearance Certificate from the excise and taxation department and copy of Pan be submitted along with application.
The tender for the work at Sr. No 2&5 will be issued those Contractor who have executed the similar nature of works.

Adv. No.-1688/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से प्रदेश हित से जुड़े मामलों पर की विस्तृत चर्चा

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर हिमाचल के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा सामाजिक सरोकार के अपने पांच एजेंडों को लेकर विस्तृत विचार – विमर्श किया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश सामाजिक अभियानों को लेकर हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इन मुद्दों को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है और प्रदेश के लोग भी इन अभियानों से जुड़ रहे हैं। हर वर्ग का इनमें सहयोग मिल रहा है।

आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उन्होंने विशेष पहल की है, जिसके तहत हर व्यक्ति जन्मदिवस अथवा सालगिरह के मौके पर पौधारोपण करेगा। इस अभियान के तहत, पांच – पांच गांव का एक समूह तैयार किया जाएगा जहां वन विभाग की खाली पड़ी भूमि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को हरी झण्डी देने तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए वित्तपोषण संबंधी स्वीकृतियों के लिए आभार व्यक्त किया। विशेषकर, सामरिक महत्व की लेह रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और इस दिशा में भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत करवाया कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान, गोपालन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ तथा समरसता जैसे पर जन्मदिवस अथवा सालगिरह के मौके पर कोई भी व्यक्ति वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण करेगा, जिस पर उस व्यक्ति की नाम पट्टिका भी लगाई जाएगी। इस के अलावा, वन विभाग का कर्मचारी अथवा स्थानीय व्यक्ति स्वरोजगार के तौर पर इन पौधों की सुरक्षा व जीवंतता को भी सुनिश्चित बनाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपाल को सामाजिक मुद्दों पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को इनसे जोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने इस दिशा में बेहतर कार्य के लिए राज्यपाल की सराहना की। उन्होंने सामाजिक चेतना के इन मुद्दों पर अपनी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate/percentage rate tender on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer Arki division HP PWD Arki on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the competent.(In this regard the decision of the Executive Engineer shall be final contractors enlisted with HP PWD in appropriate class whose registration stood renewed asdper revised instruction and also registered dealers under the Himachal Pradesh sales Tax Act, 1968. The application for tender form will be received on 1.9.2016 upto 4:00 P.M. The tender form will be issued on 3.9.2016 4:00 P.M. The tender form will be received on 5.9.2016 upto 10:30 A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of the contractors or their authorized representative who may like to be present. The form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 1.09.2016 the earnest money should be deposited in the shape of National Saving Certificate . Time deposit /Post office Saving bank account in any of the Post office in HP duly pledged in the name of the Executive Engineer Akri Division HP PWD Arki and tender form will be issued only those contractors who will deposit the Earnest Money at the time of sale of tender. The Conditional tenders shall not be entertained . If holiday is declared suddenly by the Govt. on the above date due to some reason the tender shall be received and opened on the next working day. The intending contractors/ Firms will have to produce all required documents at the time of making application such as income Tax clearance certificate for the proceeding year, registration. Renewal of registration and sale tax number (Under HP G.S.T) Act Special care should be taken to write the rates both in figures and in words. Failing which their tender will be rejected. No. tender form shall be issued to the contractors /firm who have already two works in HPPWD The offer of the tender shall remain open for 120 days from the date of opening of the tender The Executive Engineer reserves the right to accept reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Form	Cost of Form	Time
1.	Performance Based Maintenance of Galog Tukana road km 0/0 to 8/630)	5,53,000/-	11,100/-	6&8	350/-	12Months
2.	Performance Based Maintenance of Darlaghat Piplughat road km 0/0 to 6/150)	4,25,000/-	8500/-	6&8	185/-	12Months

TERMS AND CONDITIONS:-
The tender documents shall be issued only to those contractors /Firms who fulfill the following criteria
1. The latest renewal of enlistment/ proof of valid registration and income tax clearance certificate /permanent Account Number (PAN) must accompany the request for obtaining the tender documents.
2. The contractor should be registered under H.P. General Sale Tax Act. 1968and a proof thereof must accompany the request for obtaining the tender documents.
3. The application for obtaining tender documents must be accompanied with earnest money in the shape of National Saving certificate /Time deposit account in any of the Post office in HP /FDR from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer, Tender applications received without Earnest Money shall not be entertained and out rightly rejected and no tender form will be issued.
4. Ambiguous/ telegraphic /Conditional tenders by Fax/E-mail shall not be entertained / considered and will summarily be rejected.
5. The Executive Engineer reserves the right to reject /cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
6. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender
7. If the date given above happens to be a holiday. The same shall be processed on next working day.
8. The contractors/firms must quote their rate in words as well as in figures.
9. No tender form will be issued to those contractor whose performance was no found

Adv. No.-1714/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

बागवानी मंत्री का अनुसंधान एवं विकास पर बल

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उभरती वैश्विक बाजार अवधारणा के साथ विकसित हो रहे बागवानी क्षेत्र में अद्यतन अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है तथा राज्य देश में बागवानी मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का एक तिहाई कृषि योग्य क्षेत्र बागवानी के अधीन है, जो अब बढ़ कर 224354 हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

स्टोक्स ने कहा कि समेकित बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2003 से लेकर अब तक 29520 लाख रुपये व्यय करके 222595 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीक की सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल विकास, जल के कुशल उपयोग एवं वितरण की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 1169.15 करोड़ की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत बागवानी क्षेत्र में विकसित देशों से उच्च गुणवत्ता के सेब, नाशपाती, पलम और आड़ू, चौरी के पौधे तथा इन फल पौधों के कनोलन रूट स्टॉक्स का आयात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत 2.23 लाख पौधों का पहले ही आयात किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 30 हजार पौधों का आयात बागवानी मिशन के अन्तर्गत किया गया है। उन्होंने पौधों के सही वितरण के लिए अधिकारियों से पहले से ही सुव्यवस्थित योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

स्टोक्स ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर पावर स्प्रेयरों तथा पावर टिलरों की पिछली देनदारी की अदायगी के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना आरम्भ की गई है, जिसमें राज्य की पंचायतों से पांच बेरोजगार युवाओं को कटाई व छंटाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरान्त ये युवा अन्य बागवानों के बागीचों में भी कटाई-छंटाई कर अपनी आजीविका कमा सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को मधु मक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त बजट प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मधु मक्खी पालन पर उदार अनुदान के प्रावधान से राज्य में फल फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

बागवानी मंत्री ने कहा कि फल फसलों को बचाने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को एंटी हेलनेट के अन्तर्गत लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एंटी हेलनेट की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

स्टोक्स ने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभाग को सकारात्मक प्रयास करने को कहा तथा प्रशिक्षण शिविरों, कार्यशालाओं, खेतों में व्यवहारिक प्रदर्शन, प्रचार सामग्री, प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने पैट प्रशिक्षण के लिए अनुमति का किया आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर से भेंट की तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों विशेषकर प्राथमिक सहायक अध्यापकों को प्रदेश में शिक्षा के

अधिकार के प्रावधानों के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों से निपटने के दृष्टिगत विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने पर चर्चा की।

वीरभद्र सिंह ने इस दौरान जावेडकर को केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है और प्रदेश सरकार निचले स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसमें सहयोग करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहले ही नियुक्त 1259 प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं में बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य कर सके। उन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने देश में पांचवीं तथा आठवीं कक्षाओं के स्तर में सुधार के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का मामला भी उठाया और आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से एसएसए, आरएमएसए और रूसा के तहत समय पर धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में विकास को जारी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आवश्यक शिक्षा, रूसा व आरएमएसए इत्यादि के कार्यान्वयन में पहले ही श्रेष्ठ है।

वीरभद्र सिंह ने लड़कियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुनिश्चित बनाने का मामला भी उठाया और केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों का शत-प्रतिशत नामांकन करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं। उन्होंने शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि विद्यार्थियों को उनके घरद्वार के निकट गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने प्रदेश में और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सके।

जावेडकर ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

राज्य पर्यटन निगम शुरू करेगा होटल प्रबन्धन सॉफ्टवेयर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रदेश व प्रदेश के बाहर अपनी सभी इकाईयों में बेहतर प्रबन्धन एवं अनुश्रवण के लिए शीघ्र ही होटल प्रबन्धन सॉफ्टवेयर आरम्भ करेगा।

यह जानकारी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने निगम के फिल्ड

अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। यह सॉफ्टवेयर निगम की सभी परिसम्पतियों के प्रभावी अनुश्रवण के अतिरिक्त मुख्य कार्यालय से श्रमशक्ति तथा अन्य गतिविधियों के संचालन में मददगार होगा।

मल्होत्रा ने कहा कि सुदृढ़ीकरण/कमियों/ अवसरों तथा चुनौतियों पर गौर करने के उपरान्त एक विशेष कार्य नीति तैयार करके निगम की सभी सम्पतियों को लाभप्रद बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई को लाभ अर्जित करने वाली इकाई बनाने पर बल दिया जा रहा है तथा सभी सम्पतियों के उपयुक्त रखरखाव के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को उनके द्वारा अतिथियों को प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणात्मक बदलाव लाने तथा क्षेत्र के अनुरूप विशेषकर विदेशी पर्यटकों को अलग-अलग एवं उत्कृष्ट व्यंजन की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों की फीडबैक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया ताकि वे जब दोबारा उस स्थान के भ्रमण पर आएं तो वे प्रसन्न व सन्तुष्टि का अनुभव करें।

निगम की प्रत्येक इकाई पर विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति के दौरान मल्होत्रा ने प्रत्येक होटल एवं कैफे की कार्य प्रणाली की समीक्षा की और कहा कि इनकी आवश्यक मुरम्मत एवं स्तरोन्नयन का कार्य किया जाएगा तथा पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकतानुरूप होटलों तथा कैफे में सुधार लाने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, जिसके लिए शीघ्र ही समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

मल्होत्रा ने निगम के घाटे को कम करने तथा संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज शुरू करके निजी तौर पर विपणन के माध्यम से लाभ अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विपणन कार्य नीति में नवीन बदलाव लाने के लिए निजी होटल संचालकों एवं संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करने को कहा।

प्रबन्ध निदेशक ने फील्ड अधिकारियों के सुझावों एवं प्रस्तावों को सुना तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पण एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, जिसके लिए वे भविष्य में उत्तरदायी होंगे।

महाप्रबन्धक विजय शर्मा तथा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

पत्रकारिता में श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शिमला/शैल। भारतीय प्रेस परिषद के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपने स्वर्ण जयंति स्मरणोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस परिषद अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रही है और 16 नवम्बर, 2016 को स्वर्ण जयंति स्मरणोत्सव आयोजित किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रिंट मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे पत्रकारों, फोटोग्राफरों व स्वतंत्र पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के लिए प्रविष्टी विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की गई है, जो भारतीय प्रेस परिषद की बैवसाईट www.presscouncil.nic.in पर अन्य दस्तावेजों के साथ उपलब्ध है।

पानी की कमी पर आपातकालीन बैठक

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने शिमला में पानी की कमी से उत्पन्न समस्या का जायजा लेने के लिए आईपीएच विभाग तथा नगर निगम शिमला के अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से पानी की कमी के कारणों के बारे में शीघ्र उन्हें अवगत करवाने के निर्देश दिए।

आईपीएच विभाग तथा नगर निगम शिमला के अधिकारियों ने निरीक्षण के उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा गत 27 जुलाई को भारी वर्षा के कारण गुम्मा, कोटी-बरांडी तथा गिरी जल स्त्रोतों में सिल्ट बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई पानी की कमी के बारे मंत्री को अवगत करवाया। अधिकारियों ने सूचित किया कि 42 एमएलडी पानी की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 20.63 एमएलडी पानी ही उठाया गया, जिससे 21.37 एमएलडी पानी की कमी हुई। उन्होंने कहा कि जल जनित रोगों को रोकने तथा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पानी की आपूर्ति विभिन्न स्टेजों से उपयुक्त उपचार के उपरान्त ही की गई। उन्होंने कहा कि ऐतिहाती तौर पर आईजीएमसी तथा आईपीएच प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से पानी की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पानी का सामान्य वितरण सुनिश्चित किया गया है।

स्टोक्स ने लोगों की सुविधा के लिए पानी का सुचारू वितरण तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

10वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके तकनीकी सहायक बने दैनिक भोगी

शिमला/शैल। 31 मार्च, 2016 तक 10 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके तकनीकी सहायकों को दैनिक भोगी बनाया गया और उन्हें प्रतिदिन 290 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस बारे 25 जुलाई, 2016 को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार उनके दैनिक भोगी में परिवर्तित होने के उपरान्त सात वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त उन्हें ड्राफ्टमैन के समकक्ष का नियमित वेतनमान 5910-20200 / 3000 ग्रेड पे दिया जाएगा। इस पर सभी व्यय मनरेगा धनराशि से वहन किया जाएगा। उपारोक्त श्रेणी के लिए यह अनुबन्ध/रूपांतरण योजना विशुद्ध रूप से अस्थाई व मनरेगा के साथ सह-मीयादी है। नियुक्ति से संबंधी अन्य नियम व शर्तें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्राम पंचायतों के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का आवंटन का तरीका, तकनीकी सहायकों के पैनल में मान्यता की पद्धति पूर्व की भांति होगी, जो प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में इस योजना के लिए अधिसूचित की गई है।

2.78 लाख सेब की पेटियां मंडियों को भेजी

शिमला/शैल। प्रदेश में वर्तमान सेब सीजन के दौरान सेब उत्पादकों की मांग पर मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 279 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिनमें से 162 एकत्रीकरण केन्द्र एचपीएमसी तथा 117 एकत्रीकरण केन्द्र हिमफैड द्वारा खोले जाएंगे। अब तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 80 एकीत्रकरण केन्द्र खोले जा चुके हैं। बागवानी विभाग प्रवक्ता ने कहा कि 618 ट्रकों के माध्यम से 26 जुलाई, 2016 तक 2,78,773 सेब की पेटियां विभिन्न मंडियों को भेजी जा चुकी हैं।

कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिये जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी।.....चाणक्य

सम्पादकीय

आप की ऐसी खिलाफत क्यों?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल ने एक ब्यान में आशंका जताई है कि प्रधान मन्त्री मोदी बौखला गये हैं और उनकी हत्या करवा सकते हैं। केजरीवाल के इस ब्यान पर केन्द्र सरकार और भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी इस ब्यान पर मौन ही हैं। केजरीवाल का यह ब्यान एक गंभीर विषय है और इसे हल्के से नही लिया जा सकता। क्योंकि यह एक मुख्यमन्त्री की आशंका है। यदि यह आशंका निर्मूल है तो ऐसे ब्यानों की सार्वजनिक निन्दा होनी चाहिये अन्यथा इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिये क्योंकि मौन ऐसे प्रश्नों का हल नही होता उससे विषय की गंभीरता और बढ़ जाती है क्योंकि एक मुख्यमन्त्री प्रधान मन्त्री की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहा हैं।

अरविन्द केजरीवाल को ऐसी आशंका क्यों हुई इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में सत्ता में आयी है तभी से मोदी की केन्द्र सरकार से उसका टकराव चल रहा है। हर छोटे बड़े मसले पर टकराव है और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित कई विधेयकों को अभी तक स्वीकृति नही मिल पायी है। दिल्ली के इक्कीस विधायकों पर उनकी सदस्यता रद्द किये जाने का खतरा मंडरा रहा है। जबकि पूरे देश में हर राज्य में संसदीय सचिव बने हुए हैं। जिन विधायकों को मन्त्री नही बनाया जा पाता है उन्हे संसदीय सचिव बनाकर राजनीतिक सतुंलन बनाये रखने का तरीका अपनाया जाता है। इसमें दिल्ली ही अकेला अपवाद नही हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी ऐसी नियुक्तियों के माध्यम से राजनीतिक सन्तुलन साधे गये हैं। संसदीय सचिवों की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये संसद में ही विधेयक लाकर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन किसी एक राज्य सरकार को अलग से निशाना बनाकर ऐसा प्रयास किया जाना राजनीतिक विद्वेश ही माना जायेगा।

दिल्ली में पुलिस पर प्रदेश सरकार का नियन्त्रण नही है। यह केन्द्र सरकार के अधीन है। दिल्ली पुलिस अभी तक विभिन्न मामलों में ग्यारह विधायकों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से किसी भी विधायक के खिलाफ चुनाव से पहले कोई आपराधिक मामले दर्ज नही थे जिसे लेकर यह कहा जा सके कि मामले की जांच चल रही थी और अब उसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता आ खडी हुई क्योंकि विधायक जांच में सहयोग नही कर रहा था। सबके मामले विधायक बनने के बाद दर्ज हुए और जांच शुरू होने के साथ ही गिरफ्तारियां कर ली गयी। कईयों के मामलों में तो अदालत भी क्लीन चिट दे चुकी है फिर कईयों के खिलाफ तो आरोपों का स्तर भी ऐसा है जिससे यह विश्वास ही नही होती कि विधायक बनने के बाद भी कोई ऐसा आचरण कर सकता है। जिस तेजी के साथ दिल्ली पुलिस ने 'आप' विधायकों के खिलाफ कारवाई को अजांम दिया है वैसी तेजी अन्य अपराधीयो के खिलाफ देखने को नही मिली है। फिर देश की संसद के भीतर भी ऐसे कोई कारवाई नही हो पायी है। यही नही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, में आपराधिक मामलें हैं जिन पर इन राज्यों की पुलिस ने दिल्ली जैसी कारवाई नही की है। दिल्ली पुलिस की कारवाई को इस आईने में देखते हुए सामान्य नही माना जा रहा है और ऐसा मानने के कारण भी हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है और यह कांग्रेस तथा भाजपा को स्वीकार्य हो नही पा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस का विकल्प बनने के लिये जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनकर एक लम्बी प्रतिक्षा की है। इसके लिये जनता पार्टी को तोडने और वी पी सिंह के जनमोर्चा को समाप्त करने तक के कई राजनीतिक कृतयों को जन्म दिया है। इस सारी यात्रा के बाद भी राम देव और अन्ना के आन्दोलनों का सहारा लेकर लोकसभा में अकेले 288 सीटें जीतकर दिल्ली विधानसभा में केवल तीन सीटों तक सिमट जाना स्वाभाविक रूप से भाजपा के लिये चिन्ता और चिन्तन का विषय है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिये यह एक स्थिति है जिसका कोई जवाब उसके पास नही है। ऐसी स्थिति से राजनीतिक खीज का पैदा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन इस सच्चाई का सामना करने के लिये 'आप' सरकार से टकराव और उसके विधायको के खिलाफ ऐसे मामले बनाना भी कोई हल नही है। पूरा देश इस वस्तु स्थिति को देख रहा है।

प्रेस की आजादी का मतलब

– प्रभाकर चौबे –

इन दिनों प्रेस की आजादी पर पुनः चर्चा शुरु हुई है। वैसे प्रेस की आजादी पर कुछ-कुछ अंतराल से चर्चा उठती रहती है। प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू प्रेस की आजादी के न केवल पक्षधर थे वरन हर हाल में प्रेस की आजादी बरकरार रहे उसका हनन न किया जाए, इसके प्रति मनसा-वाचा-कर्मणा प्रतिबद्ध रहे। ये प्रेस है क्या? और प्रेस की आजादी से आशय क्या है? प्रेस की आजादी का मतलब पत्रकार और पत्रकारिता की आजादी तक सीमित कर दिया जाता है। प्रेस वास्तव में एक संस्थागत ढांचा है। पत्रकार उस संगठन का केवल एक पुर्जा है जो समाचार से संबंधित विभिन्न विधाओं पर काम करते हैं। 'समाचार' संकलन से लेकर विश्लेषण तक का दायित्व इस पुर्जा के पास होता है। लेकिन पत्रकार ही तो 'प्रेस' नहीं है न। प्रेस के इस सांगठनिक ढांचे में मालिक भी होता है। मतलब प्रेस एक पूरी व्यवस्था है जो विभिन्न पुरजों के सामूहिक संचालन से चलायमान होता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का आशय है इस सांगठनिक ढांचे की स्वतंत्रता, अब 'प्रेस संगठन' का अखबार कोई एक व्यक्ति निकाले, एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो या कम्पनी के स्वामित्व में हो, प्रेस की आजादी उस संगठन को भी प्रभावित करेगी। प्रेस की आजादी का आशय केवल सत्ता के हस्ताक्षेप से स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। प्रेस की आजादी दो तरह से बाधित होती है। एक तो प्रेस के सांगठनिक ढांचे का हस्तक्षेप और दूसरा सत्ता का हस्तक्षेप। इस रूप में प्रेस और यहां कह सकते हैं पत्रकार 'दोऊ पाटन के बीच में' की स्थिति में होता है। मतलब पत्रकार को अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक करने के लिए प्रेस के सांगठनिक ढांचे से भी अहस्तक्षेपीय होना होगा और 'सत्ता' का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। किसी एक पक्ष से मिली आजादी उसके निष्पक्ष काम के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे पूर्ण अहस्तक्षेपीय स्थिति चाहिए तभी वह निष्पक्ष हो सकता है और एक खुले माहौल में अपना कर्तव्य कर सकता है। प्रेस के संगठन के कर्ता-धर्ता ने आजादी दे दी लेकिन सत्ता का अंकुश उस पर हो तो वह कैसे निडर होकर काम करे। अथवा उदार सत्ता ने पूरा अवसर दिया है लेकिन प्रेस की सांगठनिक व्यवस्था उसे अंकुश में रखती है तो भी वह स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर सकता। प्रेस की आजादी और आजाद प्रेस सुनने-कहने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रेस की आजादी को पूरा परिभाषित किया जाए और अक्षरशः पालन की दिशा में बढ़ा जाए तो इतने अवरोध उपस्थित कर दिए जाते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ही कहीं गुम हो जाता है। प्रेस कोरा पानी पीकर तो काम कर नहीं सकता। इसके लिए धन तो चाहिए ही। यहां पर बड़ा गम्भीर मसला उपस्थित होता है। धान की पूर्ति कहां से होती है। विज्ञापन एक जरिया है। सरकार भी विज्ञापन देती है। उद्योग जगत भी विज्ञापन देता है। यहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता पर संकट खड़ा हो जाता है और 'न लूं तो खाऊं क्या?' की स्थिति पैदा होती है। सरकार चाहती है जिसे कुछ दिया जा रहा है वह पूरा चारण भाट न भी बने तो थोड़ा 'गुण गायक' तो बने या सरकार के वस्त्रों में जो छिद्र हैं उन्हें उजागर न कर सरकार बढिया है कहे। यहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न खड़ा होता है। मतलब सरकार अपने दिए का प्रतिफल ब्याज सहित चाहती है। ब्याज न भी दे कोई तो मूल के बराबर तो गुण गाए। सरकार अपनी आलोचना के प्रति असंवेदनशील हो जाती है। और यहीं से प्रेस अपने पत्रकार पर अंकुश लगाने लगता है। जो प्रेस का संगठन अपने पत्रकार पर अंकुश नहीं लगाता वह पत्रकार सरकार के अंकुश की चिंता भी नहीं करता। इस तरह पत्रकार की स्वतंत्रता सरकार के रुख, सरकार की नीयत और अपने प्रेस की 'हिम्मत' पर निर्भर होती है।

पत्रकार अकेला कितनी हिम्मत दिखा सकता है। इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब केवल पत्रकार को समाचार चयन, विश्लेषण की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। प्रेस की आजादी का आशय है संगठन को सरकार अपने अंकुश से तंग न करे, कमजोर न करे। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सरकार अपनी आलोचना को रचनात्मक रूप में ले और प्रेस को खुश कर देने की मानसिकता से उबरे। अगर प्रेस सरकार की आलोचना भी कर रहा है तो सरकार उसके आर्थिक स्रोतों को ब्लाक करने का काम न करे। आलोचना होने दो प्रेस को तंग न किया जाए और आलोचना के तथ्यों का विश्लेषण जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए- यही लोकतंत्र है और इसी में लोकतंत्र मजबूत होता है-यह नहीं कि भड़ैती को सरकार प्रोत्साहित करे और अपने नाम का नगाड़ा पीटने वाले प्रेस को ही आर्थिक सहयोग दे। ऐसा तो सामंती व्यवस्था में होता रहा। व्यवस्था का मीडिया कभी भी लोकतंत्र का काम नहीं कर सकता और न यह जनता के हित में होता। यह अपना पेट भरता है और अपने प्रेस साम्राज्य का विस्तार ही करते जाता है। इससे लोकतंत्र का और अंततः जनता का बड़ा नुकसान होता है। अगर अखबार या कह लें प्रेस सरकार के भय या किसी प्रलोभन के कारण सरकार का गुण ही गाते रहें तो लोकतंत्र का हास तो होगा ही, जनता का भी ऐसा करने वाले बड़ा अहित करेंगे। होना तो यह चाहिए कि प्रेस 'प्रतिपक्ष' की भूमिका में खड़ा रहे-प्रतिपक्ष का आशय केवल आलोचना नहीं है वरन सरकार को सही बात से अवगत कराने से भी होता है। सरकारें किसी भी प्रकार के 'प्रतिपक्ष' से बिदकती क्यों हैं। लोकतंत्र में तो खुला खेल का पूरा अवसर है। लेकिन जो सरकारें लुका-छिपी कर जनता को अंधकार में रखने का जुगत करती है ऐसी ही सरकारें आलोचना को दबाने का उपक्रम करती हैं और विपक्ष को तनिक भी बरदास्त नहीं करतीं। ऐसी सरकारें केवल अपने लिए गीत सुनना चाहती हैं। प्रेस भी जब अपना मूल कर्तव्य के अतिरिक्त इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगता है और धंधे में लग जाता है इस तरह वह अपनी मूल भूमिका से भटक जाता है। जिसके हाथ कई रंगों से रंगे हैं। उनके हाथ की कलम भी कई रंगों में रंगी होगी। ऐसे समय प्रेस की आजादी की बात उठाना केवल मुंह जुठारना है। वे प्रेस की आजादी को अपने हक में चाहते हैं। प्रेस की आजादी और सत्ता पर बातें होती रहती है। कहा जाए तो सरकार ही 'सत्ता' नहीं होती। सत्ता भी एक सांगठनिक ढांचा है। इस ढांचे में सरकार एक अंग मात्र है। इसे इस तरह समझें- छाता कहने से एक चित्र उभरता है। छाता में डंडी होती है और कुछ काडियां होती है तथा कपड़ा से ढंकी होती हैं इन सबको मिलाकर छाता बनता है। इसी तरह 'सत्ता' भी एक छाता है- सरकार प्रमुख डंडी है और उसके कई विभाग इस ढांचे की काडियां हैं। इन सबको मिलाकर सत्ता का ढांचा खड़ा होता है। सत्ता से टकराना मतलब अकेले सरकार से टकराना नहीं होता। सत्ता के अन्य काडियां एक साथ सत्ता के बचाव में आ जाती है। कभी-कभी तो सरकार और 'सत्ता' के बीच भी द्वंद्व पैदा हो जाता है और व्यवस्था की सत्ता ऐसी सरकार को ही बदल देती है। इसलिए प्रेस की आजादी इस ढांचे की सम्पूर्ण सोच को लोकतांत्रिक बनाने में निहित है। अगर ढांचा लोकतांत्रिक नहीं है तो प्रेस की आजादी केवल कागज पर, पोस्टरों पर और विज्ञापनों में दिखाई देगी। व्यवस्था ही अपने हित को साधने वाली सरकार बनाती है। सरकारें केवल सत्ता को व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही होती है। इस अर्थ में व्यवस्था का मानस पुत्र है सरकार। व्यवस्था ही सरकार लाती है और बदलती रहती है। प्रेस की आजादी के लिए कई सुझाव दिए जाते रहते हैं और व्यवस्था उन्हें चाव से सुनती भी है। पत्रकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जाता है। मजेदार बात यह कि व्यवस्था दर्द देती है और व्यवस्था ही दर्द निवारक टेबलेट भी मुहैया करा देती है। सहानुभूति भी प्राप्त कर लेती है। पत्रकारों की सुरक्षा का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा। पत्रकार कोई जेड-सुरक्षा तो मांग नहीं रहे। पत्रकारों की सुरक्षा से आशय है उनकी स्वतंत्रता पर आक्रमण न हो। लेकिन व्यवस्था उतनी ही स्वतंत्रता देती है न जितनी 'व्यवस्था' को माफिक बैठे ज्यादा तो देगी नहीं। वैसे पत्रकार ही क्यों, जनता ही कहां सुरक्षित महसूस कर रही है। बहरहाल पत्रकारों को धमकाना गलत है, अपराध है। उसे संगीन अपराध के दायरे में ले भी आए तो भी यह रुकेगा नहीं क्योंकि व्यवस्था अपना काम निर्बाध करना चाहती है। विशेष अदालत बना देने मात्र से क्या लाभ होगा और पत्रकारों पर हमले किए जाने के सीबीआई जांच का क्या परिणाम आएगा? क्या होगा? फर्जी मुठभेड़ की जांच किसी से भी कराने कहो, क्या हासिल होगा? यह पूंजीवादी लोकतंत्र तो लूट-खसोट और हर तरीके से धन कमाने का अवसर देता है अतः धन कमाने के मार्ग में अवरोध पैदा करने वालों को तो यह व्यवस्था बरदास्त नहीं करेगी। बहरहाल प्रेस की आजादी की मांग ठीक है लेकिन जनता का एक अपना वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना होगा। हमारे संत कवियों ने जनता की बात व्यवस्था तक को फटकारते हुए रखी- यह जनमीडिया होता है। व्यवस्था का मीडिया तो यही करता रहेगा। स्वतंत्र प्रेस का ढांचा खड़ा करने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

साभारhttp://www.deshbandhu.co.in से

सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रभावी प्रयास

हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश अपनी बहुरंगी संस्कृति व सौंदर्य से ओत – प्रोत एक मनमोहक भूभाग है। सदियों से इस प्रदेश का लोक जीवन, रहन – सहन एवं रीति – रिवाजों व अनेक देव परम्पराओं का स्वरूप आज भी अतीत की यादें दोहराता है। कदम – कदम पर बदलती हुई लोक भाषा अनेकों रीति – रिवाजों व भिन्न – भिन्न लोक नृत्यों व देव परम्पराओं से जुड़ा होने के कारण ही यह प्रदेश देव भूमि कहलाता है।

राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण को लेकर अति संवेदनशील है। प्रदेश में अलग से कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। विभाग के अंतर्गत कला, भाषा एवं संस्कृति अकादमी द्वारा संस्कृति के संरक्षण की दिशा में अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं कला के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने अभिलेखागार

के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश रिकार्ड प्रबंधन समिति का गठन किया है जो राज्य अभिलेखागार के तौर तरीकों पर काम कर रही है। 11 सदसीय समिति ने कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों के अलावा रामपुर बुशहर, कुमारसैन तथा सांगरी से पुराने एवं दुर्लभ एतिहासिक एवं प्रशासनिक अभिलेखों को एकत्र करके राज्य अभिलेखागार में स्थानांतरित किया है। इससे राज्य तथा बाहरी प्रदेशों के विद्वानों की अभिलेखागार में अध्ययन एवं शोध की रूचि बढ़ी है।

राज्य सरकार राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को सरंक्षित करने के लिये वचनबद्ध है। इसके लिये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया है।

प्रदेश की समृद्ध व पुरातन भाषा को संजोए रखने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन योजना के अंतर्गत अकादमी में स्थापित पांडुलिपि रिसोर्स सेंटर द्वारा अब तक एक लाख 26 हजार पांडुलिपियों की कैटालॉगिंग की जा चुकी है। विगत वर्ष 13500 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया। शिमला में आयोजित किए गए पांडुलिपि जागरूकता शिविर में इनकी उपलब्धता एवं उपयोगिता विषय पर डा. ओम प्रकाश सारस्वत और डा. हरि चौहान ने व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस दौरान आयुर्वेद, ज्योतिष, सांचा, कर्मकांड विषय पर 60 से अधिक पांडुलिपियां भी प्रदर्शित की गई।

राज्य सरकार लेखकों एवं साहित्यकारों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये हर वर्ष 'शिखर सम्मान' प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने इसकी राशि को 50000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है। वर्ष 2015 के दौरान शिमला में आयोजित 'शिखर सम्मान समारोह' में मुख्यमंत्री एवं अकादमी के अध्यक्ष ने तीन विभूमियों को शिखर सम्मान प्रदान किए। इनमें हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत एवं पहाड़ी संगीत के लिये वरिष्ठ संगीतकार श्री एस. शशि को, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में वरिष्ठ कवि श्रीनिवास श्रीकांत को तथा पहाड़ी चित्रकला में रचित साहित्य उके लिये साहित्यकार प्रो. बी.एन. गोस्वामी को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों और समग्र योगदान के लिये अकादमी का सर्वोच्च सम्मान 'शिखर सम्मान' प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, अकादमी प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को साहित्य पुरस्कार भी प्रदान कर रही है। गत वर्ष शिमला में आयोजित साहित्य पुरस्कार समारोह में हिंदी काव्य वर्ग में सुदर्शन वशिष्ठ को उनकी पुस्तक 'जो देख रहा हूँ' के लिये, श्री साधु राम दर्शक को उनकी पुस्तक 'फौजी' तथा अन्य कहानियां के लिये श्री रूप शर्मा को उनकी पुस्तक 'हिमाचल प्रदेश: अंधकार से प्रकाश की ओर', उर्दू में के.के. तूर को उनकी पुस्तक 'रफ्ता – रमज' के लिये सम्मानित किया गया।

अकादमी ने गत वर्ष शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय लालचंद प्रार्थी जयंती समारोह का आयोजन किया जिसमें लेखक संगोष्ठी तथा बहुभाषी कवि सम्मलेन के कार्यक्रम शामिल थे। लेखक गोष्ठी में प्रार्थी जी की शायरी 'वजूद – ओ – अदम' शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। दूसरा शोध पत्र हिमाचल प्रदेश के 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला को पैतृक संपति में अधिकार' विषय पर पावर पवांईट प्रस्तुति दी गई। इन शोध पत्रों पर 10 विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुभाषी कवि सम्मेलन में प्रदेश के जाने – माने 25 कवियों ने हिन्दी, पहाड़ी, संस्कृत तथा उर्दू में कविता पाठ किये।

मंडी में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसमें राष्टरीय स्तर के 30 प्रकाशकों ने भाग लिया।

अकादमी द्वारा कुल्लू में आयोजित दो दिवसीय जनजातीय सेमिनार में पांगी, भरमौर, किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति के विद्वानों ने प्रदेश की जनजातीय कला, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य पर शोध पत्र प्रस्तुत किए और उन पर परिचर्चा भी की।

अकादमी नियमित रूप से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से शिमला के गेयटी थियेटर में पुस्तक मेलों का आयोजन कर रही है। इन मेलों में राष्ट्र स्तर के प्रकाशकों को आमंत्रित किया जाता हैं ताकि अच्छी पुस्तकों को राज्य पुस्तकालयों एवं स्कूलों में उपलब्ध करवाया जा सके।

मंदिर हमारी संस्कृति का अभिनव एवं अभिन्न अंग है। इनमें न केवल पूजा – अर्चना के कार्य निष्पादित किए जाते हैं, बल्कि उत्सवों एवं अनुष्ठानों को भी संचालित किया जाता है। मंदिरों का प्रबंध राज्य सरकार ने अपने नियत्रंण में लिया है और सरकार न्यास के माध्यम से इनकी प्रबंध व्यवस्था में सुधार तथा श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

हि.प्र.हिंदू सार्वजनकि धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम के अंतर्गत जिन मंदिरों का अधिग्रहण किया गया है

उनमें: – श्री ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा, श्री रामगोपाल मंदिर डमटाल, श्री बज्रेश्वरी मंदिर, श्री बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध, श्री चिन्तपूर्णी मंदिर,

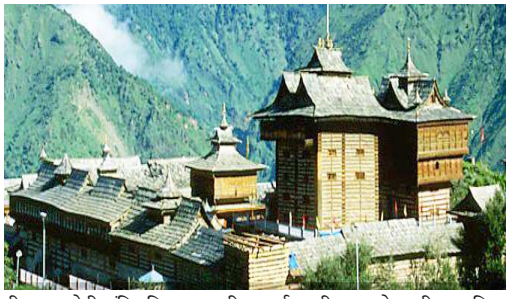

श्री नयना देवी मंदिर बिलासपुर, श्री तारा देवी मंदिर शिमला, श्री दुर्गा माता मंदिर हाटकोटी, श्री भीमाकाली मंदिर सराहन, श्री रघुनाथ जी, श्री नार सिंह जी, श्री लोकडा देवता जी, श्री हनुमान मंदिर जाखू, श्री अयोध्यानाथ मंदिर रामपुर, श्री दुर्गा मंदिर रामपुर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चम्बा, श्री बद्रविशाल मंदिर, बांई अटारिया तथा परसिंहदेव मंदिर नगरोटा सूरियां, ठाकुरद्वारा देई साहिबा मंदिर पौंटा साहिब, शाहतलाई मंदिर बिलासपुर, मुख्य मंदिर श्री बाबा बालकनाथ जी, बाबा जी का दूसरा मंदिर, वटवृक्ष मंदिर, गरनाझाडी मंदिर शाहतलाई, श्री अष्टभुजा माता मंदिर बोहना देहरागोपीपुर, श्री चामुण्डा नंदिकेशवर मंदिर कांगड़ा, श्री दुर्वेश्वार महादेव मंदिर व भागसूनाथ मंदिर धर्मशाला, श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर कांगडा, श्री सकंटमोचन मंदिर शिमला, श्री हुनमान मंदिर डियारा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर, श्री देवता बिजट महाराज मंदिर सराहां, श्री शूलीनी माता मंदिर सोलन, श्री शिव मंदिर बैजनाथ, श्री महाकाल मंदिर भरमौर, श्री हणोगी माता मंदिर, श्री मणिमहेश मंदिर भरमौर तथा श्री रघुनाथ मंदिर कुल्लू शामिल हैं।

अकादमी द्वारा हिन्दी की त्रैमासिक शोध पत्रिका 'सोमसी', पहाड़ी भाषा की अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'हिमभारती' तथा संस्कृत भाषा की अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'श्यामला' का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। इन पत्रिकाओं में प्रदेश के लेखकों को जहां मंच प्रदान किया जा रहा है, वहीं पाठकों व शोधार्थियों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक शब्दावली, हिंदी – पहाड़ी पर्यायवाची शब्दकोश भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

राज्य में लुप्त हो रही प्राचीन लिपियों के प्रशिक्षण के लिये 'गुरू – शिष्य परंपरा योजना' के अंतर्गत नाहन में पाबुची लिपि का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इस केंद्र में पांच शिष्यों को पाबुची लिपि का एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अकादमी हर वर्ष शिमला में राज्य स्तरीय महिला साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन करवा रही है।

विभाग कवियों, लेखकों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति वर्ष महान विभूतियों जैसे लालचंद प्रार्थी जयंती समारोह, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जयंती समारोह, डा. यशवन्त सिंह परमार जयंती समारोह का आयोजन कर इनके माध्यम से राज्य की संस्कृति एवं पहाड़ी बोलियों के सरंक्षण पर बल दिया जा रहा है।

कांग्रेस राज में चौथे खंबे पर खाकी का वार

शिमला/शैल। छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार के राज में लोकतंत्र के चौथे खंबे पर पुलिस ने हमला कर मुख्यमंत्री की प्रशासन पर कमजोर पकड़ का सबूत दे दिया है। पुलिस ने मीडिया पर हमला बोला यहां तक तो ठीक था लेकिन बजाय आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के मामले पर जांच बिठा दी। पुलिस की जांच पुलिस के सुपर्द। क्या रिजल्ट आएगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हैं। चौथे खंबे पर खाकी हमले की गूंज आज राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा शिमला के एसपी डीडब्ल्यू नेगी के कार्यालय तक गूंजी।

प्रेस क्लब शिमला के बैनर तले राजधानी के पत्रकारों ने आरोपी पुलिस अधिकारी व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत तो सचिवालय में सीएम वीरभद्र सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जबकि एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी ने डीएसपी अर्जित सेन ठाकुर को मामले की जांच के आदेश दिए। मामला बीते रोज का है जब एंबुलेंस में आधा दर्जन के करीब पुलिस के जवान लक्कड़ बाजार चौकी के यंग प्रभारी सब इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर की कमान में संजौली कालेज के बाहर रैलिंग पर बैठें छात्रों पर टूट पड़े। इटीवी के पत्रकार देवेंद्र हेटा ने इस करतूत को मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया। जब हेटा ये काम कर रहे थे तो सब इंस्पैक्टर की नजर हेटा पर पड़ी व वो उस पर टूट पड़े और उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद करीब दो सौ मीटर तक उसे आगे तक ले गए। इस बीच हेटा ने अपना पहचान पत्र भी दिखाया जिसे इस यंग इंस्पैक्टर ने फाड़ डाला। करीब आधा घंटें तक पत्रकार पर पूरी हनक उतारने के बाद मोबाइल वापस किया।

पिछले एक अरसे से प्रदेश ही नहीं देश में भी पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। सतापक्ष की शह पर सोशल मीडिया पर पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश तो पुलिस राजधानी में ही हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे है।

चौथेखबे पर हमले के अपने मायने होते हैं। शायद ये इस सब इस्पैक्टर को मालूम नहीं है। पब्लिक के पैसे से तनख्वाह लेने वाले इस सब इंस्पैक्टर को निश्चित तौर पर सही ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। प्रदेश में ट्रेनिंग की गुणवता में भारी कमी आई है। पुलिस के इस तरह के रवैये ये साबित करने को काफी है। इस सब इंस्पैक्टर की इस हरकत ने प्रदेश की पूरी पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह दिल्ली पुलिस जनता के बीच मजाक बन कर रही गई है हिमाचल पुलिस भी उसी राह पर है।

पिता धूमल व आर्मी चीफ सुहाग से फीतियां लगवाई और लेफ्टिनेंट बन गए अनुराग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश से भाजपा के युवा सांसद व बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने प्रादेशिक सेना में कमीशन लिया है। वह प्रादेशिक सेना में नियमित अधिकारी के तौर पर

कार्यग्रहण करने वाले हिमाचल व भाजपा से पहले सांसद है।

आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग और अनुराग ठाकुर के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अनुराग ठाकुर को राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उन्हें 124 इंफेंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) सिख बटालियन में शामिल करने के लिए उनके कंधे पर लेफ्टिनेंट की फीती पहनाई।

41 साल के अनुराग ठाकुर ने प्रादेशिक सेना की ओर से चंडीगढ़ में आयोजित लिखित परीक्षा और निजी साक्षात्कार पास किया है और भोपाल में आयोजित 9 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया है। वह एक नियमित अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कार्यग्रहण कर रहे हैं और इसलिए उन्हें दिल्ली में प्रादेशिक सेना अकादमी में ट्रेनिंग लेनी होगी।

इस मौके पर अनुराग ठाकुर का कहना था,'मुझे प्रादेशिक सेना में कमीशन लेकर गर्व महसूस हो रहा है।'

समारोह में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा, ' अपने बेटे को प्रादेशिक सेना में एक लेफ्टिनेंट के रूप में देखना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं अपने पूरे जीवन समाज और लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है और अपने बेटे को उसी जुनून को देखने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। धूमल ने कहा कि अनुराग को प्रादेशिक सेना में एक लेफ्टीनेंट के रूप में देखना पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यधिक गर्व की बात है वर्दी के रुतबे की आशाओं को पूरा करेंगे।

प्रादेशिक सेना, भारतीय सेना के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति है। यह स्वयंसेवियों का एक संगठन है जिन्हें एक साल में कुछ दिन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आपातकाल के मामले में राष्ट्र की सुरक्षा में अंशदान कर सकें। प्रादेशिक सेना उन लोगों के लिए है जो मुख्य धारा के नागरिक व्यवसायों में पहले से ही मौजूद हैं।

बद्दी MLA निपटाये ट्रक यूनियन की समस्याए:अग्निहोत्री

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विकास की ओर बढ़ने के लिए अवसरों की जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एम. एस.एम.ई. कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

उद्योगों की मांग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के उद्योग श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्रक यूनियन के ऊंचे किराए तथा उनकी कई मांगों के कारण हिमाचल प्रदेश के उद्योगों के सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने उद्योगों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इन सभी समस्याओं को निपटारा कर दिया जाएगा ताकि उद्योगों के लिए सही और उचित माहौल बनाया जा सके। इसी दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों के तहत सरकार जल्द ही एम.एस.एम.ई. के लिए नई नीति भी लागू करने जा रही है।

राज्य में कुल 9 क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा जिनमें से फार्मा और पैकेजिंग क्लस्टर बद्दी में होंगे। एंट्री टैक्स में कटौती समेत बजट में की गई सभी घोषणाओं को 1 माह के भीतर नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस बद्दी में ढांचागत विकास पर रहेगा जिसके माध्यम से बद्दी को देश में मॉडल इंडस्ट्रीयल टाऊन बनाया जा सके। पिंजौर- नालागढ़ हाईवे की फोर लेनिंग का काम तेजी से करवाने के लिए भी प्रयास किया जा रहें हैं।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि सभी आवश्यक मंजूरियों का काम ऑन लाईन किया जाएगा और इस प्रक्रिया में भूमि से जुड़ी हुई मंजूरियां भी शामिल हैं। उन्होंने एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए सी.आई.आई. की सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एम.एस.एम.ई. सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा एम.एस.एम.ई. के साथ जितने बड़े स्तर पर संवाद किया जा रहा है वह काबिलेतारीफ है। उन्होंने राज्य में निवेश की इच्छा रखने वाले संभावित निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि वे आश्वस्त करते हैं कि राज्य में नए निवेशकों के लिए भी व्यापार करना उतना ही आसान होगा।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के चीफ जनरल मैनेजर पापिया सेनगुप्ता ने कहा कि एम.एस.एम.ई. ने 31 मार्च 2016 तक 16878 करोड़ एडवांस लिया है जो रिटेल एडवांस का 41 प्रतिशत है। 2015-16 के दौरान बैंक ने 32228 माईक्रो व स्मॉल उद्योगों को 2841 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए। इसके साथ ही बैंक ने कलेक्टरल फ्री मुद्रा लोन के रूप में 2015-16 के दौरान 787 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए। बैंक ने कहा कि उनका उद्देश्य पिछले दो वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत राशि को बढ़ाना है।

सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद उद्योगों में से ज्यादातर एम.एस.एम.ई. हैं जो राज्य की तरक्की में सबसे अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. इतनी अहम होने के बावजूद भी अभी तक कई समस्याओं का सामना कर रही है। यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली है फिर भी इन्हें फंड और तकनीक की कमी से जूझना पड़ रहा है।

एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव का हिस्सा होने के चलते मुकेश अग्निहोत्री ने सैप्लिंग प्लांटेशन सत्र का उद्घाटन किया और 250 सैप्लिंग सभी प्रतिभागियों में वितरित किए गए।

एम.एस.एम.ई कॉन्क्लेव 2016 का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राज्य में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना था साथ ही उन उद्योगों को इस प्रकार तैयार करना जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को स्थापित कर सकें। इस कॉन्क्लेव में उद्योगों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया व साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

ओरेकल ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई

शिमला/शैल। बहुराष्ट्रीय कम्पयूटर प्रौद्योगिकी निगम ओरेकल ने हिमाचल प्रदेश के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिस्सेदारी की इच्छा जाहिर की है। यह जानकारी ओरेकल के अध्यक्ष लवाईस ली गैसकट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा मुख्य सचिव वी.सी. फारका के साथ विशेष भेंट में दी।

मुख्यमंत्री के सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी) गोकुल बुटेल ने अग्रणी सॉफ्टवेयर कम्पनी के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ शिमला में बैठक को सहज बनाया।

वीरभद्र सिंह ने राज्य में बागवानी, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए समाधान विकसित करने के लिए ओरेकल से सुझाव आमंत्रित किए।

वी.सी. फारका ने राज्य में साहसिक पर्यटन स्थलों की पहचान व इन्हें विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया। गोकुल बुटेल ने हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने का आग्रह किया, क्योंकि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर जलवायु वातावरण, पर्याप्त मानव संसाधन तथा ऊर्जा उपलब्ध है।

बैठक के दौरान मिस्टर लवाईस ने राज्य के लिए ओरेकल से प्रायोजित मोबाईल एप्लीकेशन आधारित समाधानों के लिए प्रोटोटाईप तैयार करने का आश्वासन दिया। ओरेकल इंडिया के प्रबन्ध निदेशक शैलेन्द्र कुमार, सेल्स के उपाध्यक्ष सुन्दर राम तथा सेल्स के निदेशक अमित डाबरा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रियंका गांधी के बंगले पर हाईकोर्ट में घमासान

शिमला/शैल। प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित मकान की जानकारियां हासिल करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य की एक अर्जी को प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जिन दस्तावेजों को भट्टाचार्य ने मांगा है वो इस केस से नहीं जुड़े हैं। इसलिए इस अर्जी को खारिज कर दिया जाता है।

भट्टाचार्य ने इस अर्जी में कहा था कि सरकार ने धारा 118 के तहत बाहरी लोगों को मकान बनाने के लिए दी गई मंजूरियों की जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी जिसे भटट्चार्य ने रिकार्ड पर लाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वो 118 के उल्लंघन का मामले को नहीं सुनेंगे। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने अपने आदेश में कहा कि ये रिपोर्ट प्रियंका गांधी के मामले से किसी भी तरह जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इस अर्जी को खारिज किया जाता है। भट्टाचार्य ये साबित करना चाहते थे कि छराबड़ा में बन रहे बंगले में प्रियंका गांधी ने हिमाचल रेवन्यू एक्ट की धारा 118 का उल्ल्घन किया हैं।

भट्टाचार्य ने प्रियंका गांधी के दिल्ली स्थित मकान को लेकर भी एक अर्जी अदालत में दायर कर रखी है। इस अर्जी में भट्टाचार्य ने यह कहा था कि आरटीआई के तहत जब ये मांगा गया कि प्रियंका गांधी दिल्ली में किस बंगले में रहती हैं तो ये जानकारी दे दी गई। इसी तरह छराबड़ा में बन रहे बंगले को लेकर मांगी गई जानकारी व नोटिग्स भी याचिकाकर्ता को दे दी जानी चाहिए। इस अर्जी को अदालत ने 9 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा है।

हिमाचल सूचना आयोग ने देवाशीष भट्टाचार्य की अर्जी पर आदेश दिया था कि छराबड़ा में बन रहे प्रियंका गांधी के बंगले को लेकर सारी जानकारियां व नोटिंग्स भट्टाचार्य को दे दी जाए। इस पर प्रियंका गांधी ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी कि सुरक्षा के लिहाज से ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सूचना आयोग के आदेश को स्टे कर दिया। ऐसे में भट्टाचार्य को इस बंगले को लेकर मांगी गई सूचनाएं नहीं मिली। इसलिए उनकी ओर से अलग अलग अर्जियां डाली जा रही हैं।

आरटीआई एक्टिविस्ट देवाषीश भट्टाचार्य एक अरसे से हिमाचल की राजधानी से कुछ दूरी पर छराबड़ा में प्रियंका गांधी के बन रहे बंगले को लेकर जानकारियां मांग रहे हैं। इसी मामले को लेकर भाजपा के शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का ये मकान राष्ट्रपति के छुट्टियों के दौरान ठहरने के लिए बने रिट्रिट के बिल्कुल समीप है। ऐसे में राष्ट्रपति की सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। भारद्वाज ने इस मकान को दी गई सभी मंजूरियां रद्द करने की मांग की थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि इनमें से बहुत सी मंजूरियां पूर्व की भाजपा की धूमल सरकार ने दी थी।

कर्मठ युवा हिमाचल को

हिमाचल वासियों का सलाम

हिमाचल सरकार की प्रगतिशील नीतियों से

युवाओं के सपने हो रहे साकार

हिमाचल के युवा गुणात्मक उच्च शिक्षा कौशल विकास प्रेरणा और प्रोत्साहन से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को कर रहे गौरवान्वित

प्रदेश के कुछ होनहार सितारे

उत्कृष्टता को मिला सम्मान

राजीव गाँधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को दिए जा रहे नेटबुक एवं लैपटॉप।

विजय कुमार, (हमीरपुर) शूटिंग
ओलम्पिक रजत पदक विजेता

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार एवं सरकारी सेवा में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा 41 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में रोज़गार प्रदान ।

मुग्धा अरोड़ा, (सिरमौर)
आई.आई.टी., कानपुर 2015

IIT, IIM अथवा AIIMS में प्रवेश पाने वाले सभी हिमाचली विद्यार्थियों को ₹75000 की प्रोत्साहन राशि।

वीरेन्द्र सिंह, (चम्बा)
आई.आई.एम., अहमदाबाद 2014

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पाने वाले 268 विद्यार्थियों को मिली प्रोत्साहन राशि

नेहा, (मण्डी) एम्ज़,
पटना 2015

₹500 करोड़ कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 1,62,615 युवा हो रहे लाभान्वित, कौशल विकास के लिए ₹640 करोड़ की परियोजना स्वीकृत।

हमारे युवा–हमारी ताक़त

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

राज भवन बनाम सचिवालय

शिमला। क्या प्रदेश के राजभवन और राज्य सरकार के सचिवालय के बीच खुला टकराव होने जा रहा है। यह चर्चा सचिवालय और राजभवन के गलियारों से निकलकर मालरोड के स्कैंडल प्वाईंट तक पहुच गयी है। चर्चा का आधार है राजभवन में लंबित खेल विधेयक। वीरभद्र सरकार ने इस कार्यालय में एक बार फिर विधानसभा में नया खेल विधेयक पारित करवाया है। जब यह विधेयक सदन में चर्चा में आया था तो उस समय भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे सलेक्ट कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव रखा था जिसे संख्या बल के आधार पर सरकार ने अस्वीकार करते हुए विधेयक पारित कर दिया था।

लेकिन इस विवादित विधेयक का विरोध सदन से निकल कर राजभवन तक पहुच गया। भाजपा के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक को अपनी स्वीकृति न देने का अनुरोध किया। भाजपा के बाद एचपीसीए ने भी अनुराग की अध्यक्षता में राजभवन में दस्तक देकर इस विधेयक को स्वीकृति न देने का आग्रह किया। संयोगवश राज्यपाल की नियुक्ति भाजपा की मोदी सरकार ने की है। ऐसे में भाजपा के विरोध को नजर अन्दाज कर पाना राजभवन के लिये संभव ही नही है। इसी कारण से यह विधेयक आज तक राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है। वीरभद्र कई बार इस विधेयक को लेकर राजभवन को कोस चुके हैं। अब तो नया विधेयक लाने तक की धमकी दे दी है। लेकिन राजभवन पर अब भी कोई असर नही है। क्योंकि वित विधेयक के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधेयक को किसी समय सीमा के भीतर पारित करने या वापिस लौटाने की बाध्यता नही है। इसी के सहारे राजभवन खेल विधेयक पर खामोश बैठा है।

लेकिन अब कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को सेवा विस्तार दिये जाने के सरकार के अनुरोध को ठुकराकर राजभवन ने अपनी नीयत और नीति जग जाहिर कर दी है। प्रदेश के भीतर चल रहे विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में राज्य सरकार को दखल का अधिकार नही है। इन पर कुलाधिपति के नाते राज्यपाल का ही एकाधिकार है। राज्य सरकार ने अपने ही स्तर पर सेवा विस्तार की अनुशंसा करके कुलाधिपति के अधिकारों का अतिक्रमण करने का जो प्रयास किया था उसे ठुकरा कर नये आवेदन मंगवाने की अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार को करारा जवाब दिया है। राजभवन और राज्य सचिवालय में पनपता यह सौहार्द क्या रंग दिखावेगा इस पर सबकी निगाहें लगी है।

महेश्वर की भाजपा वापसी के प्रयासों का परिणाम है रघुनाथ मन्दिर का अधिग्रहण

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार ने कुल्लु के अर्न्तराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के केन्द्रिय देव श्री रघुनाथ के मन्दिर का अधिग्रहण करने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम का कुल्लु के देव समाज और महेश्वर सिंह ने कड़ा विरोध किया है। महेश्वर सिंह ने सरकार की अधिसूचना को प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से चुनौती भी दे दी है। उच्च न्यायालय का फैसला क्या आता है तब तक सरकार के फैसले पर ज्यादा कुछ कहना सही नही होगा। लेकिन इस अधिग्रहण को जायज ठहराने के लिये मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने यह कहा है कि ऐसा करने के लिये क्षेत्र की जनता की मांग थी। सरकार ने जनता की मांग पर अधिग्रहण का फैसला लिया है। लेकिन कुल्लु की जनता ने यहां के राज परिवार से जुड़े कई मुद्दों पर पहले भी सरकार के पास मांगे रखी हैं जिन पर सरकार ने कभी अमल नही किया।

स्मरणीय है कि इसी रघुनाथ मन्दिर को लेकर 1941 में जिला जज श्री एस एम हक होशियारपुर की अदालत में दो प्रार्थनाएं नम्बर 12 और 13 आयी थी जिन पर 25.2.1942 को धर्मशाला कैंप में फैसला सुनाया गया था। यह प्रार्थनाएं 1920 के एक्ट नम्बर 14 की धारा 3 के तहत आयी थी। जिला जज एस एम हक ने अपने फैसले में इस मन्दिर को प्राईवेट संपति करार दिया था। इस फैसले के बाद एक समय श्रीमति विप्लव ठाकुर, कौल सिंह, सिंघी राम, स्व. राज किशन गौड़ और ईश्वर दास ने भी नवल ठाकुर के आग्रह पर इस मन्दिर के अधिग्रहण की मांग उठाई थी जिसे सरकार ने नही माना था।

इसी तरह देहात सुधार संगठन भुन्तर ने रूपी वैली को लेकर मांग उठायी थी। नवल ठाकुर 1991 में रूपी वैली के मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में ले गये थे। उच्च न्यायालय ने 13.5.91 को अपने फैसले में 31.12.92 से पहले रूपी वैली के सारे नौतोड़ मामलों की समीक्षा के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों पर 4.11.96 को जिलाधीश कुल्लु ने इस स्थल के निरीक्षण के आदेश दिये थे। इस निरीक्षण की रिपोर्ट पर लम्बे समय तक जिलाधीश के कार्यालय में चिन्तन मनन चलता रहा। अन्त में 10.7.2006 को जिलाधीश कुल्लु के कार्यालय से मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त सचिव को रिपोर्ट भेजी गयी। जिलाधीश के पत्र के साथ निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट भेजी गयी जिस पर कभी कोई कारवाई नहीं हुई। जिलाधीश का पत्र और 1942 के जिला जज के फैसले की कापी पाठकों के सामने रखी जा रही है।

अब सरकार ने इस मन्दिर के अधिग्रहण का फैसला उस समय लिया जब महेश्वर सिंह ने अपनी हिमाचल लोकहित पार्टी को भाजपा में विलय करने का फैसला लिया। महेश्वर हिलोपा के एक मात्र विधायक है और उनके भाजपा में विलय पर दलबदल कानून लागू नही होता है। वीरभद्र के इस कार्यकाल में महेश्वर सदन के अन्दर और बाहर बराबर मुख्यमन्त्री के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब जब राजनीतिक विवशताओं के चलते उन्होने पुन: भाजपा में वापसी करने का फैसला ले लिया तब सरकार के मन्दिर अधिग्रहण के फैसले को राजनीतिक आईने में देखा जाना स्वाभाविक है।

Judgment -: Court of S.M. Haq Distt. Judge Hoshiarpur
Chandershekhar S/o Parshoutam Brahman Dal from Kullu & Others

This order will dispose of two consolidated applications No. 12 and 13 of 1941 under Act. XIV of 1920 for the rendition of and accounts of the temples of the idols of Thakur Raghunath Ji

The idol is considered to be the biggest in the Kullu valley and is worshipped not only by the people but also by the God of the various villages of the kullu valley. An entry at page (iv) of Appendix xiv in the report on the Forest Settlement of Kullu, 1886, shows that the temple of this Idol is the private chapel of the Raja and is a part of his Mahal (Palace). The statement of Raj Bhgwant Singh is to the same effect. The petitioners witnesses failed to tell, who had brought the Idol of Thakur Raghunath Ji to Kullu and where from it had been brought. They admitted that the palace of the Raja adjoined this temple, and although Kesri Das A.W.2 stated that it was situated on the abadi of the village, the allegation is not substantiated. The Wajib-ul-are mentions public temples; but it does not include the temple of Thukar Raghunath Ji. Consequently, I see no reason to disbelieve the the statement of Rai Bhgwant Singh.

The Rai (who is popularly known as Raja) stated the all the ceremonies of his family including the installation ceremony of the Rai are held in the temple of Thakur Raghunath Ji as admitted by Chander Shaker& Fatta petitioners Fatta also admitted that only the Rai and the priests could touch the idol of Raghunath Ji or go in the room in which it is placed.

As a public trust. Some of the petitioners ,and some of the witnesses ,bear grudge to the respondents. Even the petitioners may not have cared or ventured to file the present application but for the enmity between the Raja of Sanghri and Rai Bhagwant singh. The Rai admitted that no is indebted to the extent of about Rs. 25000/- (out of which Rs. 20,000/- are secured on land)., but there is nothing to show that he is unable to pay these debts from out of his estate. He also admitted that he sold land, which was dedicated to the temple., but said that he had not spent the sale proceeds in trust temple . In any case the indebtedness of the Rai or the sale of unproductive land did not entitle the petitioners to demand accounts of a private idol.

The Rai stated that he had no objection to the checking of the accounts of the temple by the Deputy Commissioner. I think it will be in the interests of the Rai if the Deputy Commissioner takes advantage of the offer of the Rai and cheeks the accounts. But neither the D.C. nor this court can compel the Rai to render accounts of a private trust at the instance of people, who have no interest in it. I, therefore, dismiss application No.12 of 1941 with costs. S.M. Haq Distt. Judge Hoshiarpur Kangra Camp Dharmashala 25-2-1942 .

From : The Deputy Commissioner, Kullu, H.P.

To
The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla
No. 1485/S.K. Dated, 10th July, 06

Subject : *Representation of Dehat Sudhar Sanghtan.*

Sir,

Please refer to your letter No. Secy/CM-DO306/2003-DEP-B182568 dated the 7th March, 05 along with a photocopy of letter dated 20/01/2006 received fro Shri Om Prakash Sharma, President Rupi Valley Dehat Sudhar Sanghathan, Bhuntar regarding alleged illegal acts of Shri Maheshwar Singh, Ex-MP of depriving the people and the local deities of their land.

I visited the spot "Sochadhar" on 22.03.2006 Tehsildar, Kullu, ACF, Parwant Forest Division, RO, Hurla Forest Range, BO Garsa, Forest Guard, Kanungo, Bhuntar Circle, Patwari, Garsa Patwar Circle, Pradhan Gram Panchayat Garsa alongwith all members of Gram Panchayat Garsa, Up-Pradhan, Gram Panchayat Bhallan-I alongwith all members and Shri Om Parkash, Chairman Rupi Dehat Sudhar Sangathan. Photographs are enclosed as Annexure A.1 to A.5. The land in question is situated at the height of 8773 ft. MSL and one can reach there after doing "Bhagirath Attempt". The land is surrounded by thick forest and has not been fenced. The said land comprised in Khata/Khatoni No. 524/666 Khasra No. 3486 measuring 86-5 bighas has been recorded in the names of Danvender Singh and Hiteshwar Singh sons of Shri Maheshwar Singh as Parcha Jamabandi for the year 2002-03. It is surprising that the land has not been developed or broken so far in spite of the fact that the Nautor was granted on 2.11.1967 i.e.38 years have passed.

In this connection, it is stated that a detailed report has already been sent to the Financial Commissioner-cum-Secretary (Revenue) by the then Deputy Commissioner vide his letter No. 6765-66/Steno/DRO dated the 8th November, 1996 (Annexure C) forwarding therewith Inspection Report submitted by the District Revenue Officer dated 4th November, 1996 (Annexure D). The Inspection Report is self-speaking an nothing is required to be added.

I do agree with the observations made by the DRO in his report dated 4.11.1996. The only change which has taken place after this report is the transfer of land in the name of Danvender Singh and Hiteshwar Singh by their father Shri Maheshwar Singh. The reason for the transfer of land in favour of sons is not understood.

On the other hand, Sarvashri Danvendeer Singh and Hiteshwar Singh, in a joint representation have objected to my visit to Sochadhar on the ground that the spot has been visited in their absence on the complaint of a person who is not a right holder in this Phati (Annexure "E"). It has been stated by them also that they have got land measuring 86-5 bighas from his father, Shri Maheshwar Singh who had got the land as a Nautor granted by their grandfather, Shri Mahender Singh. In this connection it is stated that I did not consider it necessary to associate them as I wanted to verify on the spot the status of land.

In nut shell, there have been irregularities illegalities and procedural lapses as pointed out against Serial No. 1 to 15 of Annexure D. In addition, the impugned land has now been transferred in the name of Danvender Singh and Hiteshwar Singh without any reason. In fact, the land should have not been allotted by Shri Mahender Singh to his sons as the land did not belong to his because he had already received the compensation for the land. Keeping in view the above, the action by way of revision under Section 17 of the H.P. Land Revenue Act is required to be taken.

It is requested that this letter along with all the Annexure may please be placed before the Hon'ble Chief Minister for his kind perusal and necessary directions.

Yours faithfully,

Deputy Commissioner

Yours faithfully,

Deputy Commissioner

सीआईसी और शिक्षा के नियामक आयोग का अध्यक्ष तलाशने के लिए नही बन पायी स्क्रीनिंग कमेटी

शिमला/शैल। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और शिक्षा के नियामक आयोग के अध्यक्ष पद करीब पिछले पांच माह से खाली चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिये आवेदन आमन्त्रित कर लिये गये थे। शिक्षा के नियामक आयोग में सदस्य का रिक्त पद भर भी लिया गया है और मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी आर.के.एम.बी. कालिज की प्रिंसिपल मीरा वालिया को सदस्य का पद मिला है। जिस बैठक में सदस्य का पद भरा गया था उस बैठक में अध्यक्ष का पद नही भरा जा सका। क्योंकि नियामक आयोग का अध्यक्ष पद भरने के लिये शिक्षा सचिव चयन समिति की बैठक बुलाते है। लेकिन यहां पर तत्कालीन शिक्षा सचिव पी सी धीमान स्वयं इस पद के लिये दावेदार थे और इस कारण यह बैठक नही बुलायी जा सकी। अब धीमान सेवानिवृत हो गये हैं अब यह बैठक बुलायी जा सकती है।

पी सी धीमान की दावेदारी के कारण यह पद खाली रखा गया था। लेकिन इसी बीच सरकार ने शराब का कारोबार करने के लिये भी एक अलग निगम बनाने का फैसला ले लिया है। सरकार द्वारा शराब का सारा कारोबार अपने एकाधिकार में लेने के लिये जीआईसी को इस कारोबार से बाहर कर दिया गया है। जीआईसी को अपना आवेदन तक वापिस लेना पड़ा है। इस सबमें आबकारी एंवम कराधान सचिव के नाते पीसी धीमान की मुख्य भूमिका रही है। धीमान की इसी भूमिका के लिये इस नयी निगम के अध्यक्ष पद के लिये भी वह प्रबल दावेदारों में आ गये हैं। लेकिन एचपीसीए के मामले में सरकार धीमान के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की अनुमति तक दे चुकी है ऐसे में सेवानिवृति के बाद धीमान को किसी पद पर तैनाती देना सरकार के लिये विवाद खड़ा कर सकता है।

इसी तरह सीआईसी के लिये आये आवेदनों की छंटनी के लिये भी अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी गठित नही हो पायी है। इस पद के दावेदारों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के एस तोमर भी शामिल हो गये हैं। हालांकि संविधान के मुताबिक लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों पर सरकार में कोई भी अन्य पद स्वीकारने पर प्रतिबन्ध है। इस संद्धर्भ में आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीश भट्टाचार्य राज्यपाल को शिकायत तक भेज चुके हैं। उधर विशेषज्ञों के मुताबिक सूचना आयोग अध्यक्ष के बिना काम ही नही कर सकता है। सूचना आयोग में अध्यक्ष का होना अनिवार्यता है। सूचना आयोग को लेकर सरकार एक तरह से सवैंधानिक संकट मे फंस चुकी है। ऐसे में सरकार इन रिक्त पदों को कब और कैसे भरती है इस पर सबकी निगाहें लगी हैं।